

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  
**कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग (उर्दू सैल),**  
सी- विंग, सातवां तल, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली-2

सं०फा० 2(05)/2016-17/भाषा/2543

दिनांक: 14/3/17

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
2. विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष समस्त अधीनस्थ, स्वायत्त संस्थाएँ, स्थानीय निकाय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र।
3. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तीस हज़ारी, दिल्ली-54
4. आयुक्त, पूर्वी/पश्चिमी/दक्षिणी दिल्ली नगर निगम दिल्ली।
5. अतिरिक्त उपायुक्त(भाषा), राजभाषा, अनुभाग, सिविल सेंटर, मिंटो रोड, नई दिल्ली।
6. विशेष कार्याधिकारी, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, पालिका केन्द्र, नई दिल्ली।
7. महाप्रबंधक, दिल्ली परिवहन निगम (मुख्यालय), इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली।
8. उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, आई०पी० इस्टेट, नई दिल्ली।
9. विभागाध्यक्ष, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, शक्ति सदन, कोटला रोड, नई दिल्ली।
10. निदेशक (प्र० एवं का०), दिल्ली जल बोर्ड, झंड़ेवालान, नई दिल्ली।
11. उप-सचिव, दिल्ली विधानसभा सचिवालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
12. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, 12वां तल, एम०एस०ओ० बिल्डिंग, आई०पी० इस्टेट, नई दिल्ली-2
13. संयुक्त निदेशक (प्रशासन) दिल्ली पुलिस, मुख्यालय, आई०पी० इस्टेट, नई दिल्ली-2
14. प्रधानाचार्य, सीम्बिया कालेज, अजमल खां रोड, नई दिल्ली-6
15. सी०आई०ओ०, दिल्ली बक बोर्ड, दरियागंज, नई दिल्ली-2
16. सी०आई०ओ०, दिल्ली स्टेट हज कमेटी, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-2

**विषय:** सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए चार दिवसीय उर्दू वर्कशाप/रिफ्रेशर कोर्स के आयोजन संबंधी।


महोदय,

दिल्ली सरकार की नई भाषा नीति और 'दिल्ली राजभाषा अधिनियम 2000' के संदर्भ में उर्दू भाषा के प्रोत्साहन, प्रचार प्रसार और सरकारी काम काज में उर्दू के एक अनिवार्य स्तर तक प्रयोग की दिशा में अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रेरित/प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से भाषा विभाग (उर्दू सैल) की उर्दू प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के क्रम में चार दिवसीय उर्दू वर्कशाप/रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन किया जा रहा है।

उर्दू वर्कशाप/रिफ्रेशर कोर्स में कोई वर्ग विभाजन नहीं है। इस में सभी अधिकारी/कर्मचारी भाग ले सकते हैं। इस में भाग लेने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को पुस्तकें/शब्द कोष, कलम, नोट बुक एवं प्रमाण पत्र भी दिये जाएंगे।


उपरोक्त कार्यक्रम के संबंध में आपसे अनुरोध है कि अपने विभाग/कार्यालय एवं इत्तके अधीन समस्त निकायों/कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रतियोगिता एवं रिफ्रेशर कोर्स के बारे में अवगत करवाने का कष्ट करें एवं इच्छुक अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम संलग्न प्रपत्र में भरकर शीघ्र इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करें। उक्त कार्यक्रम की तिथि समय एवं स्थान की जानकारी बाद में पत्र/दूरभाष द्वारा दी जाएगी।

अन्य जानकारी इस विभाग की दूरभाष संख्या 25382001-4 (इन्द्रकाम 3718) एवं वेबसाइट [artandculture.delhigovt.nic.in](http://artandculture.delhigovt.nic.in) से भी प्राप्त की जा सकती है।

भवदीय  
  
(आनंद कुमार शमी)  
प्रभारी/हिन्दी अधिकारी

सं०फा० 2(05)/2016-17/भाषा/2544-48  
प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अप्रसारित:-

1. सचिव, उप-राज्यपाल, दिल्ली।
2. निज़ि सचिव, मुख्य मंत्री, दिल्ली सरकार।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
4. निजी सचिव, (कला, संस्कृति एवं भाषा), सचिवालय, नई दिल्ली।
5. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार सचिवालय के समस्त विभागाध्यक्ष।

  
(आनंद कुमार शमी)  
प्रभारी/हिन्दी अधिकारी

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग (उर्दू सैल)  
सी-विंग, सातवा तल, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली-2

**उर्दू वर्कशाप/रिफ्रेशर कोर्स में भाग लेने के लिये**  
**प्रपत्र**

1. अधिकारी/कर्मचारी का नाम : .....
  2. पिता/पति का नाम : .....
  3. पदनाम : .....
  4. उर्दू भाषा की शैक्षिक योग्यता : .....
  5. विभाग/कार्यालय : .....
  - (पूरा पता, ई-मेल एवं दूरभाष संख्या सहित)
- निवास का पूरा पता दूरभाष सं० सहित.....
- .....

प्रेषण अधिकारी का  
हस्ताक्षर एवं मोहर